



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092020-221870
CG-DL-E-22092020-221870

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2866]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2020/भाद्र 31, 1942

No. 2866]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2020/BHADRA 31, 1942

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

का.आ. 3214 (अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और उच्चतर शिक्षा विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों और डिप्लोमा धारकों अर्थात् शिक्षुओं को, इनकी नियोजनीयता में सुधार करने के लिए, उद्योग में 1 वर्ष का व्यावहारिक अभिदर्शन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना अर्थात् राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है) संचालित कर रहा है, जिसे मुंबई, कानपुर, चैन्नई और कोलकाता में स्थित शिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी/बीओपीटी) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

और इस योजना के अधीन, उद्योग द्वारा इंजीनियरिंग स्नातकों और शिक्षुता प्राप्त करने वाले डिप्लोमा धारकों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को वर्तमान में एक मासिक वृत्तिका (जिसमें इसमें इसके पश्चात

प्रसुविधा कहा गया है) दिया जाता है और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वर्तमान योजना मार्गदर्शक सिद्धांतानुसार उद्योग को इसके 50% की प्रतिपूर्ति की जाती है।

और उपरोक्त योजना में भारत के समेकित कोष से होने वाला आवर्ती व्यय सम्मिलित है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्-

1. (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन कराए:
- (2) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, उसे योजना के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।
- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विभाग फायदाग्राहियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नहीं हुए हैं, उनके आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं हो तो कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विभाग यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:

परन्तु योजना के अधीन किसी व्यक्ति को आधार सौंप दिये जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रसुविधा दी जाएगी, अर्थात्:-

- (क) यदि वह नामांकित हो गया हो, उसके पास आधार नामांकन प्रमाणीकरण की पर्ची हो; और
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थात्
 - (i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक; या
 - (ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
 - (iii) पासपोर्ट; या
 - (iv) राशन कार्ड; या
 - (v) मतदाता पहचान पत्र; या
 - (vi) मनरेगा कार्ड; या
 - (vii) किसान फोटो पासबुक; या
 - (viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञति; या
 - (ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार या किसी कार्यालय के अधिकारिक शीर्षपत्र पर जारी किसी ऐसे व्यक्ति का फोटोसहित पहचान प्रमाणपत्र; या
 - (x) मंत्रालय या विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु आगे यह कि उपर्युक्त दस्तावेज को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को प्रसुविधा प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा और उक्त आवश्यकता के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां आधार अधिप्रमाणन फायदाग्राहियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात:-

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, आईरिस स्कैनर्स या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगी जिससे निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्राप्त हो सके;

(ख) अंगुली छाप के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन या आईआरआईएस या चेहरा अधिप्रमाणन के सफल न होने की दशा में, जहां कहीं साक्ष्य और ग्राह्य हो, वहां, यथास्थिति, सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है वहां योजना के अधीन प्रसुविधायें भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित कोड से त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर का आवश्यक प्रबंध अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विभाग द्वारा सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा;

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अधीन कोई भी फायदाग्राही अपने देय प्रसुविधाओं से वंचित नहीं है, राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने संबन्धित विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी 26011/04/2017-डीबीटी (<https://dbtbarat.gov.in/>) में उल्लिखित अपवाद संचालन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से असम और मेघालय राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 16-3/2020-टी एस. VII]

मधु रंजन कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2020

S.O. 3214(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education (*hereinafter referred to as the Department*) is administering the Central Sector Scheme namely, the National Apprenticeship Training Scheme (*hereinafter referred to as the Scheme*) to impart 1 year practical exposure in Industry to the unemployed engineering graduates and diploma holders called apprentices, for improving their employability, which is being implemented through the Boards of Apprenticeship/ Practical Training (BOATs/ BOPT) located at Mumbai, Kanpur, Chennai and Kolkata (*hereinafter referred to as the Implementing Agencies*);

And whereas, under the Scheme, currently a monthly stipend (*hereinafter referred to as benefit*) is paid to engineering graduates and diploma holders undergoing apprenticeship (*hereinafter referred to as the beneficiaries*), by

the industry and 50% of which is reimbursed by the implementing Agency to the industry as per the extant scheme guidelines.

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual. subject to the production of the following documents, namely

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment identification slip: and

(b) any one of the following documents, namely:-

- (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
- (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
- (iii) Passport; or
- (iv) Ration Card; or
- (v) Voter Identity Card; or
- (vi) MGNREGA card; or
- (vii) Kisan Photo passbook; or
- (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
- (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
- (x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-2601 1/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on <https://dbtbharat.gov.in/>).
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the States of Assam and Meghalaya.

[F.No. 16-3/2020- TS.VII]

MADHU RANJAN KUMAR, Jt. Secy.